न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	22/2022
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2022/22
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	4.01.2022
निर्णय दिनांक	19.07.2022

उनवान

1	सत्यनारायण पुत्र नन्दलाल शर्मा निवासी वार्ड नं. 6 भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2	अशोक पुत्र करशन भाई भटासणा निवासी ब्लॉक नं.601 ड्रीम प्लेस खापर रोड़ मोरबी गुजरात

– अपीलार्थी गण

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	दयाराम पुत्र भगवानभाई रायपुरा निवासी वार्ड नम्बर 01 खेरड़ा तहसील व जिला मोरबी गुजरात
3	जल्पेश भाई पुत्र ठाकर सी भाई अगारा निवासी आदरणा मोरबी तहसील व जिला मोरबी गुजरात जरिये भागीदार मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज
4	सरपंच ग्राम पंचायत दौलतगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा [1(10) C.P.C.स्वीकार होने से]

– प्रत्यर्थीगण

उपस्थित वकील अपीलार्थीगण	श्री दूधाराम कुमावत
उपस्थित वकील प्रत्यर्थीगण	श्री विवेक कुमार बम्ब

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्द निर्णय एंव आदेश ग्राम पंचायत दौलतगढ़ तहसील आसीन्द नामान्तरण संख्या 1576 निर्णय दिनांक 05.02.2016

आदेश

(1) अपीलार्थीगण ने एक अपील विरूद्द निर्णय एंव आदेश ग्राम पंचायत दौलतगढ तहसील आसीन्द नामान्तरणकरण संख्या 1576 दिनांक 25.01.2016 श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज भागीदारा फर्म है जिसके अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 भागीदार है।

(2) मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज ने परफूल पुत्र माणकचन्द कर्नावट निवासी अजमेर से बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2015 को निम्नांकित भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा बाद कब्जा व दखल तन्हा मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज का ही हो चला आ रहा है -

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.07.25 13:24:08 IST
Reason: SelfAttested

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
दौलतगढ़	4108	3.40	[illegible]	1.11
	4110	1.46	4111	0.51
	4112	0.39	[illegible]	0.61
	4116	1.39		
कुल किता 7	कुल रकबा	8.87	[प्रार्थना पत्र 6 (17) स्वीकार होने से]	

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

(3) मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज ने रेस्पोडेंट संख्या एक को इन्तकाल खुलाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज के सभी भागीदारों के नाम इन्तकाल संख्या 1576 में दर्ज कर दिये जिसके विरूद्द यह अपील निम्न तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की है –

A. मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य इन्तकाल विधि विरूद्द हो काबिल निरस्तगी के है। मातहत अदालत ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित तथ्यों को सही ढंग से नहीं समझ सभी भागीदारों के नाम नामान्तरण में दर्ज करने में भारी कानूनी भूल की है। इस कारण मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्द हो काबिल निरस्तगी के है।

B. विवादित आराजियात मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज ने बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2015 को क्रय की तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज के साथ सभी भागीदारों का नाम गलत तरीके से दर्ज कर देने से वर्तमान जमाबन्दी के अन्तर्गत भी अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 का नाम जमाबन्दी में व्यक्तिशः दर्ज हो गया है। इस प्रकार अप्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा नामान्तरण संख्या 1576 में मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज के सभी भागीदारों का नाम दर्ज करने में भारी विधिक त्रुटि की है।

(4) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपीलार्थींगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर मातहत अदालत रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा पारित इन्तकाल संख्या 1576 को अपास्त फरमाया जावे तथा विवादित आराजियात का इन्तकाल मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज के नाम दर्ज किया जावें।

(5) अपीलार्थींगण द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 05/2021पर पंजीबद्द किया जाकर न्यायिक सुनवाई गयी। अपीलाधीन नामान्तरण ग्राम पंचायत दौलतगढ द्वारा स्वीकृत होने के कारण श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा का होने से माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 14.09.2021 से प्रकरण न्यायालय हाजा को सुनवाई हेतु अन्तरित किया गया।

(6) माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा से पत्रावली प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा में अपील पंजीबद्द की जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को वजह जाहिर करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

(7) अपीलार्थींगण की ओर से अधिवक्ता श्री दूधाराम कुमावत एंव प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक कुमार बम्ब ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किये है जो शामिल पत्रावली है। प्रत्यर्थी संख्या 4 स्वंय उपस्थित है।

(8) अधिवक्ता अपीलार्थींगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा.दी.पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया कि उक्त अपील में सहवन से सरपंच ग्राम पंचायत दौलतगढ़ को पक्षकार बनाने से छूट गया जो कि उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अपीलाधीन नामान्तरण ग्राम पंचायत दौलतगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिये उक्त प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत दौलतगढ़ को प्रत्यर्थी संख्या 4 के रूप में पक्षकार बनाया जाना उचित होकर न्यायहित में है। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं किये जाने से सरपंच ग्राम पंचायत दौलतगढ़ को बतौर प्रत्यर्थी संख्या 04 कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। / दिये गये है।

(9) वकील अपीलार्थींगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एंव धारा 151 C.P.C. में पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि अपील में क्रय शुदा भूमि का कुल किता 7 व कुल रकबा 8.87 हैक्टर के बजाय सहवन से लिपीकीय भूल से कुल किता 5 कुल रकबा 4.36 हैक्टर दर्ज हो गया है जिसे शुद्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलार्थींगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों से की जाने पर स्पष्ट हुआ है कि क्रय शुदा भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 8.87 हैक्टर के बजाय अपील में कुल किता 5 रकबा 4.36 हैक्टर लिपिकीय भूल से अंकित हो गया है जिसे शुद्द किया जाना न्यायसंगत होकर उचित है। अतः वकील अपीलार्थींगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एंव सपठित धारा 151 C.P.C.स्वीकार किया जाकर अपील में कुल किता 7 व कुल रकबा 8.87 हैक्टर दुरूस्त किये जाने के जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.07.25 13:24:08 IST
Reason: SelfAttested

(10) अधिवक्ता अपीलार्थींगण ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत दौलतगढ़ द्वारा पारित निर्णय एंव आदेश नामान्तरण संख्या 1576 निर्णय दिनांक 05.02.2016 विधि के अनुरूप नहीं होने से अपास्त योग्य है। वकील अपीलार्थींगण ने कथन किया कि जमाबन्दी में की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 114,121 तथा राज0भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 153 से 169 में व्यापक प्रावधान है जिसके अनुसार अभिद्वति धारक

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसींद

का नाम ,पिता का नाम ,जाति एंव निवास के साथ साथ अभिदृति सह –धारक,सह-भागीदार कब्जाधारी तथा बंधकदारों तथा उसमें काश्तकार के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भूमि धारण के हित यदि कोई हो का ही उल्लेख किया जाना चाहिये। यदि अभिदृति धारक कोई कम्पनी या संस्था है तो कम्पनी या संस्था के नाम के साथ –साथ जरिये निदेशक जरिये मैनेजर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरण में फर्म के नाम के साथ- साथ फर्म के भागीदारों का नाम भी अंकित कर दिया है जो विधि विरूद्द होने से अपास्त किया जाना न्यायसंगत है। वकील अपीलार्थीगण ने इस सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.क.-5(8)राज-6/97/6 दिनांक 09.06.2009 की छाया प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गयी।

(11) अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 02 से 03 उपस्थित होकर अपील के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की है। प्रत्यर्थी संख्या 4 स्वंय उपस्थित है जिन्होनें लिखित में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली है।

(12) बहस वकील अपीलार्थीगण पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अध्ययन / अवलोकन किया गया। पत्रावली में साराशंत:विवरण निम्नानुसार है –

क. जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा के पंजीयन क्रमांक नं. 06/BHL/2015/ 386 द्वारा दिनांक 10.12.2015 को सेमेटिक्स एन्टर्प्राइजेज वार्ड नम्बर 06 गाड़री मोहल्ला भादू तहसील माण्डल के नाम से फर्म का पंजीयन किया गया। पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति शामिल पत्रावली है।

ख. उक्त रजिस्टर फर्म के नाम पर उक्त कालम नं.2 में वर्णित कुल किता 7 कुल रकबा 8.87 हैक्टर कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 14.12.2015 को परफुल पुत्र माणकचन्द कर्नावट निवासी अजमेर से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया।

ग. उक्त क्रय शुदा भूमि का राजस्व ग्राम दौलतगढ़ में नामान्तरण संख्या 1576 दिनांक 25.01.2016 को जारी किया जाकर ग्राम पंचायत दौलतगढ़ द्वारा दिनांक 05.02.2016 को स्वीकृत किया गया है जिसमें उक्त फर्म के नाम के साथ –साथ फर्म के भागीदारों का नाम भी अंकित कर दिया गया है जिसके विरूद्द अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जाकर फर्म के भागीदारों के नाम हटाते हुये उक्त वर्णित एंव क्रय शुदा भूमि मात्र मैसर्स सेमेटिक्स एन्टरप्राइजेज के नाम करने की प्रार्थना की गयी है।

घ. ग्राम दौलतगढ़ के नामान्तरण संख्या 1576 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि फर्म के नाम से क्रय की गयी भूमि के नामान्तरण में फर्म के नाम के साथ साथ फर्म के भागीदारो का नाम भी अंकन किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय नें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित तथ्यों को सही ढंग से नहीं समझकर सभी भागीदारों के नाम नामान्तरण में दर्ज कर दिये है। सभी भागीदारों के नाम वर्तमान जमाबन्दी में व्यक्तिगत हैसियत से दर्ज रेकार्ड है जबकि उक्त वर्णित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार केवल फर्म "सेमेटिक्स एन्टर्प्राइजेज " के नाम दर्ज किया जाना था। अतः राजस्व ग्राम दौलतगढ़ तहसील आसीन्द का नामान्तरण संख्या 1576 निर्णय दिनांक 25.01.2016 विधि के अनुरूप निर्णित नहीं होने से अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

क्रियात्मक – आदेश

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर अपीलाधीन राजस्व ग्राम दौलतगढ़ के नामान्तरण संख्या 1576 दिनांक 25.01.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार आसीन्द को इन निर्देशों के साथ प्रत्यर्पित किया जाता है कि प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक राजस्व (ग्रुप-6) विभाग प.क.-5(8)राज-6/97/6 दिनांक 09.06.2009 के अनुरूप नियमानुसार नव निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.07.25 13:24:08 IST
Reason: SelfAttested

(S.D.O.)